HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14260/2025

Satyanarayan Alias Bholu S/o Shri Sitaram, Aged About 36 Years, R/o Near Maliyon Ka Mandir, Town Todaraisingh, Police Station Todaraisingh, District Tonk (Rajasthan) (Presently Lodged At Sub Jail, Malpura, District Tonk).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Sudhir Jain
For Respondent(s)	:	Mr. Onkar Singh Rajpurohit

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

14/11/2025

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना टोडारायसिंह जिला टोंक में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 165/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 420, 409, 120–बी भारतीय दंड संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त लंबे से अभिरक्षा में है, उस पर यह आरोप है कि उसने नगरपालिका अध्यक्ष रहते हुए फर्जी व कूटरचित पट्टा बनाकर 750 वर्ग गज का पट्टा जारी कर दिया, परंतु उक्त पट्टा प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा संविदा कर्मी की रिपोर्ट के आधार पर विश्वास करके जारी किया गया। उक्त जारी किए गए पट्टे को निरस्त करने के लिए प्रार्थी/अभियुक्त ने अधिशासी अधिकारी नगरपालिका टोरारायसिंह जिला टोंक को दिनांक 12.09.2025 को पत्र भी लिखा और उक्त पत्र कार्यालय उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय

विभाग, अजमेर द्वारा दर्ज किया गया। जिला कलेक्टर टोंक तथा निदेशक स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को लिखा, अगर प्रार्थी/अभियुक्त की बदनीयती होती तो वह उक्त पत्र नहीं लिखते। माणक चंद वर्मा ने वरिष्ठ सिविल न्यायालधशी टोडारायसिंह को उक्त पट्टे शून्य घोषित करने हेतु और स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया है, जिसमें नंदराम वर्मा ने वाद पत्र को स्वीकार करके पट्टे को दुरुस्तीकरण करवाया जाना अपने जवाब दावे में अंकित किया है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी शेष नहीं है, विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर 750 वर्गगज का आवासीय लीज फ्री होल्ड पट्टा जारी करके नगरपालिका को 7,48,633/— रुपए की वित्तीय हानि पहुंचाई है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित गंभीर किस्म के हैं, अतः प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने जमानत प्रार्थना पत्रों के संबंध में उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में कथनों के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसने अन्य ठेकाकर्मी व अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर अवैध पट्टा क्रमांक 4469 दिनांक 17.03.2023 को नन्दराम को 750 वर्गगज का आवासीय लीज फ्री होल्ड पट्टा जारी किया। प्रार्थी/अभियुक्त ने अधिशासी अधिकारी नगरपालिका टोरारायसिंह जिला टोंक को दिनांक 12.09.2025 को पत्र भी लिखा। संविदाकर्मी द्वारा लिखित नोटशीट में अधिक भूखण्ड की राशि पूर्व भूखण्ड 90x75= 750 वर्गगज, बाद में जोड़कर केवल पूर्व की दोनों मिसल में नाप का क्षेत्रफल 322.21 वर्गगज की आरक्षित दर से राशि की गणना की, जिसमें उक्त लाइन बाद में जोडी गई। उक्त कार्य ने विश्वास में व अन्य दस्तावेजों के साथ अपने पट्टे को सम्मिलित कर धोखे से पट्टे पर

हस्ताक्षर करवा लिए जाना कहा है। अभियुक्त ने अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका टोरारायसिंह जिला टोंक को दिनांक 12.09.2025 को पत्र भी लिखा उसमें उस पट्टे को निरस्त करने तथा कार्यवाही करने के लिए कहा है। इसी आधार पर अन्य पत्र भी प्रार्थी/अभियुक्त ने लिखे हैं। पट्टे को निरस्त करने के लिए वाद वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश टोडारायसिंह में लंबित है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 05.10.2025 से अभिरक्षा में है, उसके विरुद्ध आपराधिक अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **सत्यनारायण उर्फ भोलू पुत्र सीताराम** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

KISHAN SONI /103